भाउराव देवरस छात्र निलयम्

पृष्ठभूमि

आधुनिक संदर्भ में शिक्षा का अर्थ मानव की अन्तर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण है। सूचनाओं का मस्तिष्क में ठूँसना ही शिक्षा नहीं है। हमारी मान्यता है कि हमारे भीतर परम सत्य विद्यमान है, उसी परम सत्य की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति हमारी शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य होना चाहिए।

इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि एवं पुण्य सलिला राप्ती (प्राचीन अचिरावती) द्वारा अभिसिंचित पावन भूमि गोरखपुर में सन् 1952 में सरस्वती शिशु मन्दिर योजना का प्रादुर्भाव हुआ। जिसका व्यापक विकास विद्याभारती के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर हो गया।

व्यक्ति निर्माण में संस्कारों का बड़ा महत्त्व है। संस्कार बालक समीप के वातावारण से प्राप्त करता है। उचित संस्कार हेतु बालक को अधिक से अधिक समय तक उसी संस्कारमय वातावरण में रहना होगा। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर एवं आप सबके स्नेह तथा सहयोग के बल पर गोरखपुर में सरस्वती शिशु मन्दिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सूर्यकुण्ड सन् 1986 में छात्रावास की स्थापना की गई। पंचपदीय भारतीय शिक्षा प्रणाली से चलने वाला यह छात्रावास जनपद ही नहीं अपितु प्रदेश के श्रेष्ठ छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है तथा निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर है।

शिक्षा उस व्यवहार का नाम है जो बालक के जीवन एवं आचरण में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। सर्वांगीण शिक्षा का उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना है। अपना छात्रावास इसी कड़ी से जुड़ा छात्रों का आधुनिक सुविधा के साथ संस्कारक्षम वातावरण में उत्तम शिक्षा देने वाला अनुपम संस्थान है। यहाँ पर समस्त कार्यक्रम संस्कार योजना से संचालित होते हैं। छात्रों के प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक प्रातःस्मरण, प्रार्थना, खेलकूद, शाखा, स्वाध्याय, भोजन, आरती, भजन–कीर्तन, महापुरुषों की जयन्तियाँ, पर्व एवं त्योहार आदि दिनचर्या के सभी अंगों में संस्कार का व्यापक परिदृश्य लक्षित होता है।

यह छात्रावास गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पश्चिम सूर्यकुण्ड रेलवे क्रासिंग से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में (बिलन्दपुर खत्ता) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस नगर कालोनी में स्थित है।

सर्वांगीण विकास के आयाम

भारतीय शिक्षा दर्शन के आधार पर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न आधारभूत आयामों की परिकल्पना की गई है जिसके अनुसार मानक के आधार पर छात्रावास में प्रत्येक आयामों से सम्बन्धित क्रियाकलाप किये जाते हैं –

१. **शैक्षणिक विकास -** छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए छात्रावास में निम्न व्यवस्थायें की गई हैं :

अतिरिक्त शिक्षण - छात्रों के शैक्षिक उन्नयन एवं शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय समय के अतिरिक्त सभी प्रमुख विषयों के शिक्षक सायं 06:00 बजे से 08:00 बजे तक छात्रावास परिसर में छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध रहते हैं।

स्मार्ट क्लास - छात्रों हेतु स्मार्ट क्लास की व्यवस्था ।

आन्तरिक मूल्यांकन - सभी छात्रों का शैक्षणिक स्तर समान नहीं होता है। छात्रों के आन्तरिक मूल्यांकन के दौरान प्रतिभाशाली एवं कमजोर छात्रों का वर्गीकरण करके इनके लिए अलग–अलग शैक्षिक मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाती है।

प्रगति विवरण प्रेषण - छात्रावासी छात्रों के प्रत्येक परीक्षा परिणाम के बारे में समय–समय पर अभिभावकों को दूरभाष एवं पत्र द्वारा सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभिभावक छात्रावास आगमन के समय भी अपने पाल्य की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

वाचनालय - छात्रों को समाज से समसामयिक ज्ञान से जोड़ने में वाचनालय में आने वाली पत्र–पत्रिकाओं का बड़ा महत्व होता है। वाचनालय में दैनिक समाचार पत्र तथा मासिक व साप्ताहिक समाचार पत्र–पत्रिकायें मँगाई जाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण, विज्ञान प्रगति, गणित, भौतिकी, रसायन व जीव विज्ञान से सम्बन्धित मासिक पत्रिकायें मँगाई जाती हैं ।

२. **नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास** - बालक नैतिकता एवं आध्यात्मिकता के बिना पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। छात्र के नैतिक, आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास के लिए छात्रावास में निम्न क्रियाकलाप आयोजित होते हैं :

सामूहिक बोध - इस समय यह देखा जा रहा है कि किशोरों में धैर्य, संघर्ष की भावना, सहनशीलता, विनम्रता एवं सामूहिकता का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना इन गुणों के वह समाज में सफल नहीं हो सकता है। छात्रावास में छात्रों के एक समूह में रहने से खेलकूद, योगाभ्यास, भोजन, गीत–संगीत एवं अन्य पाठ्यसहगामी क्रियाओं के माध्यम से उपरोक्त गुणों का विकास होता है।

बौद्धिक प्रबोधन - बालकों के बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए विशेष अवसरों, पर्वों, त्योहारों एवं महान सपूतों के जन्मदिनों पर विषय–विशेषज्ञों एवं संगठन के अधिकारियों का बौद्धिक प्रबोधन आयोजित की जाती हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम - संस्कृति जीवन की भावानात्मक अभिव्यक्ति है। सांस्कृतिक गुण को विकसित करने के लिए छात्रावास में आरती, प्रातःस्मरण, गीत–संगीत, भजन, एकांकी, नाटक आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

संवाद कौशल विकास - छात्रों में विषय–वस्तु का ज्ञान होता है, परन्तु उसे व्यक्त करने के गुणों का अभाव रहता है। इसे दूर करने के लिए छात्रों को विषय–विशेष पर सम्भाषण, सामूहिक परिचर्चा तथा प्रतिदिन छात्रों द्वारा समाचार–वाचन का कार्यक्रम किया जाता है।

योग, आसन एवं प्राणायाम - छात्रों के मानसिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए प्रतिदिन योग, आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है।

शारीरिक विकास - स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आरोग्य जीवन, कर्मशील जीवन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए छात्रावास में खेलकूद आदि के निम्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं :

खेलकूद एवं व्यायाम - विविध प्रकार के खेलों तथा शारीरिक व्यायाम का निरन्तर अभ्यास तथा प्रतियोगितायें छात्रावास के छात्रों के बीच आयोजित की जाती हैं।

सेवा कार्य - छात्रों में किसी भी कार्य को करने में हीनभावना न उत्पन्न हो–इस विषय को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे भोजन–वितरण, प्रत्येक रविवार को अपने सदन की सफाई, वृक्षारोपण आदि।

व्यवस्था दर्पण

भोजनालय -

छात्रावास में शुद्ध–सात्विक एवं शाकाहारी भोजन दिया जाता है। सप्ताह में एक बार भैयाओं की रुचि के अनुसार विशेष भोजन दिया जाता है। मौसम के अनुसार जलपान में ताजे फल तथा दूध छात्रों को दिया जाता है। भोजन का वितरण क्रमानुसार छात्र ही करते हैं। सभी भैया भोजन–मंत्र के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं।

चिकित्सा -

छात्रावास में छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था है साथ ही विशेष अस्वस्थता एवं आकस्मिक अस्वस्थता के समय छात्रों को योग्य चिकित्सकों से दिखाया जाता है। विशेष अस्वस्थता के समय अभिभावक को छात्र के स्वास्थ्य के विषय में सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त छात्रों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए समय–समय पर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार प्रतिरोधक औषधियाँ / टीके आदि दिये जाते हैं।

छात्र-अभिभावक सम्पर्क -

छात्रावास में छात्र–अभिभावक सम्पर्क हेतु दूरभाष की सुविधा उपलब्ध है, जिस पर अभिभावक छात्र से प्रत्येक रविवार को सुबह 08:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक वार्ता कर सकते हैं तथा माह के अन्तिम रविवार को प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं।

सामान्य सुविधायें -

छात्रावास में छात्रों को नाई, मोची, धोबी, दर्जी की सुविधा छात्रावास परिसर में ही दी जाती है। सतत् विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर की सुविधा उपलब्ध है।

आवश्यक सामग्री

विद्यालय वेश के अतिरिक्त छात्रावास का भी वेश निर्धारित है। छात्रावास के विभिन्न क्रियाकलापों में जिसे धारण करना होगा। इसके लिए निम्न सामग्रियों की आवश्यकता होगी –

आवश्यक सामग्री (स्वयं लेकर आना है।) -

वस्त्रादि - बनियान–2, अण्डर वियर–2, तौलिया बड़ी–1, छोटी–1, स्वेटर हाफ एवं फुल, लोवर–टी शर्ट (आसमानी रंग), सफेद रूमाल–2 आदि।

बिस्तर - एक ओढ़ने की चादर, एक कम्बल, रजाई, तकिया गद्दा।

अन्य सामग्री - लोहे की सन्दूक, दो ताले, शीशा, कंघा, तेल, मंजन, ब्रश, मग, हवाई चप्पल, साबुन, साबुनदानी आदि।

छात्र की समस्त सामग्री पर उसका नाम अंकित होना चाहिए।

छात्रावास से प्राप्त की जाने वाली सामग्री - बिछाने की दो चद्दर, दो तकिया का कवर, ट्रैक–सूट, कटोरी, गिलास, चम्मच, टी–शर्ट, हाफ पैन्ट, मच्छरदानी आदि एकरूपता की दृष्टि से छात्रावास से दिया जायेगा।

छात्रावास नियमावली

- माता-पिता/अभिभावकों को मिलने के लिए माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 08:00 से सायं 05:00 बजे तक समय निर्धारित है।
- छात्र से मिलने का समय दो घंटे से अधिक न हो, ऐसी अपेक्षा है। मिलने हेतु अतिथि कक्ष में बैठना चाहिए । सीधे छात्रावास में जाना उचित नही है।
- छात्रावास में अभिभावकों को ठहरने की व्यवस्था नही है।
- छात्रावास में आने के बाद अभिभावकों को पहले कार्यालय अथवा छात्रावास अधीक्षक से सम्पर्क करना चाहिए और बाद में अनुमति प्राप्तकर भैया से मिलना चाहिए।
- सत्रीय परीक्षाओं का परिणाम प्राप्त होने पर छात्रावास अधीक्षक/सदन प्रभारी से सम्पर्क अवश्य करें।
- छात्रावासी छात्रों को विद्यालय/छात्रावास शिक्षण योजना के अतिरिक्त बाहरी कोचिंग की कक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जायेगा।
- हम छात्रों पर पूरी दृष्टि रखते हैं एवं साथ ही साथ उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध करते हैं, परन्तु फिर भी हमारे प्रयत्नों के बाद भी यदि कोई छात्र छात्रावास से भाग जाता है (जिसकी सूचना हम अभिभावक को तुरन्त देंगे तथा खोजने का प्रयास करेंगे।) तो इसके लिए विद्यालय/छात्रावास का कोई भी अधिकारी, आचार्य, कर्मचारी आदि उत्तरदायी नहीं होंगे और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जायेगी।
- किसी भी स्थिति में जमा किया गया छात्रावास शुल्क वापस नहीं होगा। किसी भी कारण से विलम्ब से प्रवेश लेते समय सम्पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
- सभी प्रकार की धनराशियाँ विद्यालय कार्यालय में ही जमा होंगी।
- छात्रावास में किसी आकस्मिक दुर्घटना/ आघात का उत्तरदायित्व छात्रावास प्रशासन का नहीं होगा।
- सत्र के मध्य में छात्रावास छोड़ने पर पूरे सत्र का छात्रावास शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा ।
- घर से दूर रहने के कारण बालकों के लिए प्रथम सत्र के दो तीन माह का समय अति संवेदनशील होता है। इस अवधि में अभिभावकों का अपने बालकों से प्रत्यक्ष सम्पर्क न्यूनतम होना चाहिए।
- अभिभावक से यह अपेक्षा है कि वह पन्द्रह दिन में एक बार अपने नवीन पाल्य को प्रोत्साहित करने वाला वार्ता दूरभाष से करें ।
- अभिभावक जो भी खाने की वस्तु लायें वह कक्ष के समस्त भैयाओं हेतु हो ।
- अवकाश के पूर्व अपने बालक को ले जाने तथा अवकाश की समाप्ति पर उसे पुनः छात्रावास में पहुँचाने का दायित्व अभिभावक का ही है।
- स्थानीय अभिभावक भी मास के अंतिम रविवार के दिन निर्धारित समय में मिलने आ सकते है। किन्तु उनके साथ बालक को ले जाने की अनुमति नहीं है। अन्य भैयाओं से मिलने हेतु पहले अनुमति लेना चाहिए।
- प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा छात्रावास में उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर बालक को चिकित्सालय ले जाने की भी पूर्ण व्यवस्था है। बालक के बीमार हो जाने की खबर पाकर आप चिंतित न हो। छात्रावास द्वारा उसकी पर्याप्त देखभाल की जाती है। प्राथमिक उपचार का व्यय छात्रावास की ओर से एवं अतिरिक्त व्यय संचयिका में से होता है।
- छात्रावास आने पर भैया की प्रगति के सम्बन्ध में सम्बन्धित छात्रावास सह-अधीक्षक/अधीक्षक से अवश्य सम्पर्क करें। कुछ भी निर्णय लेने से पूर्व छात्रावास अधीक्षक से वस्तुस्थिति की जानकारी अवश्य लें।
- भैया को कोई कीमती वस्तुएं जैसे-सोने की चैन, लाकेट, अंगूठी, ट्रांजिस्टर, मोबाइल, कैमरा आदि न दे। मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है।
- छात्रावास में खेल सुविधाएं हैं। अतः भैया को अलग से कोई खेल सामग्री न दें । इसी प्रकार अनुपयोगी पत्र-पत्रिकाएं, अनावश्यक सामग्री एवं नकद राशि देकर न जाए। राशि देना हो तो उसके संचयिका के खाते में जमा करें।
- जन्मदिन पर अनावश्यक व्यय न करते हुए बालोपयोगी प्रेरणादायक पुस्तकें छात्रावास को दान में देने की एक अच्छी प्रथा को प्रोत्साहित करें।
- भैयाओं को घर से दी जाने वाली वस्तुएं स्वदेशी होनी चाहिए। उन्हें मँहगी एवं आडम्बरयुक्त वस्तुएं न दें।
- नये वर्ष के शुभकामना संदेश भारतीय संस्कृति के अनुसार वर्ष प्रतिपदा पर ही देना चाहिए।
- बालक के सर्वांगीण विकास एवं छात्रावास की प्रगति हमें समय-समय पर आपके सुझाव सदैव अपेक्षित है।
- छात्रावास द्वारा प्रेषित पत्रकों में अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण सूचनायें भी होती है । अभिभावकों से यह अपेक्षा है कि वे सभी पत्रकों को गम्भीरता से लें और यथा समय सहयोग दें ।
- सभी विवादित विषयों की सुनवाई गोरखपुर न्यायालय के अन्तर्गत होगी।

छात्रावास में प्रवेश

छात्रावास में प्रवेश विद्यालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के परिणाम के वरीयता क्रम के अनुसार होता है। गोरखपुर महानगर में निवास करने वाले छात्रों को यह सुविधा प्राप्त नहीं होती है। छात्रावास में प्रवेश हेतु चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। छात्रावास में कुल 240 भैयाओं के रहने का स्थान है। प्रवेश हेतु 125 अंक होंगे, जिसमें 100 अंकों की विषय से सम्बन्धित लिखित परीक्षा तथा 25 अंकों का साक्षात्कार।

प्रवेश का मानक

नये छात्र - निर्धारित विषयों की लिखित प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के योग के वरीयता क्रम के आधार पर।

पुराने छात्र - छात्रावास में रहने के दौरान उसके क्रियाकलाप व व्यवहार के अभिलेख के आधार पर।

नोट – साक्षात्कार के समय छात्र के साथ माता–पिता/अभिभावक (पिता के न रहने पर) को भी उपस्थित रहना अनिवार्य है।

स्थानीय कार्यकारिणी समिति (पूर्व-छात्र-परिषद्) 2023-24

क्र0	पद	नाम	वर्तमान दायित्व/कार्य	पत्र-व्यवहार का पता व मो0 नं0
1.	संरक्षक	श्री राजबिहारी विश्वकर्मा	प्रधानाचार्य	स0शि0म0व0मा0वि0सुभाषचन्द्र बोस नगर सूर्यकुण्ड, गोरखपुर 9451591016
2.	संयोजक	डॉ. अश्वनी कुमार वर्मा	चिकित्सक	डिप्टी सी.एम.ओ., गोरखपुर मो.-9918333583
3.	पूर्व छात्र परिषद् प्रमुख	श्री दुर्गा राय	आचार्य	स0शि0म0व0मा0वि0सुभाषचन्द्र बोस नगर सूर्यकुण्ड, गोरखपुर 8853042587
4.	अध्यक्ष	श्री विवेक माहेश्वरी	सी. ए.	9335090038
5.	उपाध्यक्ष	श्री रूप रंजन	प्राध्यापक	7618882277
		डा. राजीव रतन	चिकित्सक	गोरखनाथ, गोरखपुर मो.-9919533009
		डा. जय प्रकाश आर्य	प्राध्यापक	राप्ती नगर, रेल विहार , गोरखपुर मो.-9415379677
6.	मंत्री	श्री शिव शंकर त्रिपाठी	अध्यापक	9998181124
7.	सह-मंत्री	श्री निलेश पाण्डेय	सेवा कार्य	बेतियाहाता, गोरखपुर, मो.-9794952683
8.	कोषाध्यक्ष	श्री गौरव अग्रवाल	सी.ए.	गोलघर, गोरखपुर मो.-9415211951
9.	सदस्य प्रचार-प्रसार	श्री अरविन्द पाण्डेय	दैनिक जागरण	7533900031
10.	सदस्य	श्री विकास चौरसिया	व्यवसाय	9312152343
11.	सदस्य	श्री राहुल सिंह	प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण	7860185275
12.	सदस्य	श्री आदर्श राय	व्यवसाय	9598959174

छात्रावास शुल्क

कक्षा षष्ठ से द्वादश तक

क्रमांक	प्रवेश के समय	नवीन छात्र	पूर्व छात्र
1	छात्रावास शुल्क कक्षा षष्ठ से दशम (प्रथम खण्ड)	45,000	45,000
2	कक्षा एकदश एवं द्वादश (प्रथम खण्ड)	50,000	50, 000
3	प्रतिभूति राशि	1000	-
4	छात्र निजी निधि	2000	2000
5	कक्षा षष्ठ से द्वादश (द्वितीय खण्ड)	20,000	20,000

आलोक

1. प्रवेश के समय छात्र को प्रथम खण्ड शुल्क, छात्र निजी निधि, प्रतिभूति राशि देय होगी। पूर्व छात्रों का प्रतिभूति राशि देय नहीं है।
2. पूर्व छात्र को छात्र निधि रू. 2000 प्रवेश के समय पूर्ण करनी है।
3. छात्रावास शुल्क विद्यालय कार्यालय में जमा करें।
4. अभिभावक सम्पूर्ण छात्रावास-शुल्क सम्पूर्ण सत्र का एक साथ जमा कर सकते हैं।
5. किसी भी जमा राशि की पावती कार्यालय से अवश्य लें अन्यथा पावती के अभाव में कोई भी शिकायत मान्य नहीं होगी।
6. सभी छात्रों का छात्रावास द्वितीय खण्ड शुल्क दिनांक दिनांक 31 अगस्त 2024 तक अवश्य जमा करें।
7. छात्रावास शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जा सकता।

छात्र निजी निधि - छात्रों को किसी भी समय जेबखर्च की आवश्यकता पड़ सकती है, अस्तु इसके लिए छात्र के नाम से छात्र बैंक में रुपये 2000.00 जमा करने होते हैं, जिसमें से आवश्यकतानुसार धनराशि छात्र निकाल सकता है। यह रुपये 2000.00 शुल्क के अतिरिक्त जमा करना होगा। छात्रावास छोड़ने के बाद शेष धनराशि सत्र के समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जाती है।

प्रतिभूति राशि - प्रत्येक छात्रावासी को छात्रावास कोष में प्रतिभूति राशि के रूप में रुपये 1000.00 जमा करना होगा। छात्रावास छोड़ने के पश्चात् सत्र समाप्ति पर प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। 3 वर्ष के पश्चात उक्त राशि देय नहीं होगी ।

छात्र निलयम आचार्य परिवार

क्र.	नाम	पद	योग्यता	मोबाइल नं.
1.	श्री सुनील कुमार तिवारी	अधीक्षक	एम.ए., बी.एड.	9793521242
2.	श्री मुकेश कुमार शुक्ल	सहअधीक्षक	एम.ए., बी.एड.	6392266363
3.	श्री श्याम कुमार उपाध्याय	-	बी.एस-सी., बी.एड.	9453858211
4.	श्री संजय सिंह	-	एम.ए.	9651212326
5.	श्री सुधीर शुक्ल	-	एम.एससी, बी.एड.	7068634973
6.	श्री बलवंत सिंह	-	एम.ए., बाम्बे आर्ट	6393606794
7.	श्री विवेक कुमार गुप्त	कार्या. सहा.	बी.कॉम., सी.सी.सी.	9305536369

अभिभावक - निर्देश

निम्नलिखित व्यवस्थाओं एवं नियमों के पालन के प्रति हम वचनबद्ध हैं :–

1. रविवार, विशिष्ट पर्वों के अवकाश एवं जन्मदिन को निर्धारित अवधि तक घर से आने वाले फोन पर वार्ता सम्भव होगी, वार्ता के उपरान्त पंजी पर रिकार्ड अंकित करना होगा। विशेष परिस्थिति में ही छात्रावास से बाहर फोन से वार्ता की अनुमति दी जायेगी।
2. माह के रविवार को अनुमति प्राप्त कर तथा आगमन पंजी पर हस्ताक्षर कर (जिनका फोटो छात्रावास में होगा) अपने पाल्य से मिलेंगे। अन्य दिनों में अनुमति नहीं मिलेगी।
3. स्थानाभाव के कारण अभिभावकों के रुकने की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं है।
4. छात्रावास के घोषित अवकाशों को नियत समय पर छात्र को ले जाने और पहुँचाने का दायित्व अभिभावक का ही होगा। पिताजी द्वारा अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर किसी अन्य के साथ जाने की अनुमति दी जायेगी। विलम्ब से लौटने पर रूपये 25.00 (पच्चीस रूपये मात्र) प्रतिदिन दण्ड शुल्क देय होगा।
5. अभिभावक के द्वारा दूरभाष पर किसी भी प्रकार के आग्रह से बालक को कहीं भी नहीं भेजा जायेगा।
6. छात्र अपने सम्पूर्ण सामानों की सूची दो प्रतियों में बनाकर दिखाने के बाद एक प्रति अपने पास एवं दूसरी छात्रावास–प्रभारी के पास रखेगा। समय–समय पर संशोधन सूची में आते रहना चाहिए।
7. नगद धन, कीमती वस्तुएँ, अवांछित वस्तुएँ प्राप्त होने पर छात्र को तत्काल छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
8. छात्रावास सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने, बिना अनुमति परिसर छोड़ने, दिनचर्या का पालन न करने व कार्यक्रमों में भाग न लेने, छात्रों, कर्मचारियों एवं आचार्यों के प्रति व्यवहार ठीक न रखने, स्वाध्याय के समय शोर करने व टहलने, स्वच्छता न रखने, गृहकार्य पूरा न करने आदि कारणों से भी छात्रावास सुविधा से वंचित किया जायेगा।
9. भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. शुल्क समय से पूर्व जमा करना होगा।
11. उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त समय–समय पर विद्यालय व छात्रावास प्रशासन के निर्णयों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

छात्रावास दिनचर्या

(ग्रीष्मकालीन)

जागरण	प्रातः	04:30
प्रातर्विधि	प्रातः	04:30 – 05:00
प्रातः स्मरण, योग/व्यायाम, उपस्थिति	प्रातः	05:00 – 05:30
चाय	प्रातः	05:30 – 05:45
स्नान	प्रातः	05:45 – 06:30
जलपान	प्रातः	06:30 – 07:00
विद्यालय प्रस्थान	प्रातः	07:00
विद्यालय से आगमन	अप.	01:00
भोजन	अप	01:15 – 02:00
विश्राम/स्वाध्याय	अप.	02:00 – 04:00
सायं जलपान	सायं	04:00 – 04:30
खेलकूद/व्यायाम/शाखा	सायं	04:30 – 05:15
स्वाध्याय/शिक्षण	सायं	05:30 – 07:30
दूरदर्शन व आरती	रात्रि	07:30 – 08:15
रात्रि भोजन	रात्रि	08:15 – 09:00
दुग्धपान	रात्रि	09:00 – 09:10
स्वाध्याय	रात्रि	09:00 – 10:30
दीप विसर्जन	रात्रि	10:30

(शीतकालीन)

जागरण	प्रातः	05:00
प्रातर्विधि	प्रातः	05:00 – 05:30
प्रातः स्मरण, योग/व्यायाम, उपस्थिति	प्रातः	05:30 – 06:00
चाय	प्रातः	06:00 – 06:15
स्वाध्याय/स्नान एवं विद्यालय हेतु तैयारी	प्रातः	06:15 – 08:00
भोजन	प्रातः	08:00 – 09:00
विद्यालय प्रस्थान	प्रातः	09:15
विद्यालय से आगमन	अप.	03:45
जलपान	सायं	04:00 – 04:30
खेलकूद/व्यायाम, शाखा	सायं	04:30 – 05:15
स्वाध्याय/शिक्षण	सायं	05:30 – 07:30
दूरदर्शन/आरती	रात्रि	07:30 – 08:15
रात्रि भोजन	रात्रि	08:15 – 09:00
दुग्धपान	रात्रि	09:00 – 09:15
स्वाध्याय	रात्रि	09:00 – 10:30
दीप विसर्जन	रात्रि	10:30

छात्र निर्देश

1. छात्रावास के नियमों का दृढ़ता से पालन करना तथा अनुशासन बनाये रखना।
2. कक्ष अथवा कक्ष के बाहर शांति भंग न हो इसका ध्यान रखना।
3. छात्रावास की दिनचर्या का पालन करना।
4. छात्रावास परिसर से बाहर छात्रावास अधीक्षक/प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं जाना।
5. अपने कक्ष के अन्दर–बाहर, बिस्तर तथा तख्त की सफाई पर विशेष ध्यान देना तथा इसे साफ–सुथरा व सुसज्जित रखना।
6. अपनी सभी वस्तुओं को निर्धारित स्थान पर उचित ढंग से रखना।
7. छात्रावास के अन्दर तथा बाहर किसी छात्र या अन्य व्यक्तियों से अशिष्ट व्यवहार नहीं करना।
8. छात्रावास तथा विद्यालय की वस्तुओं की सुरक्षा करना भी दायित्व के अन्तर्गत समझें।
9. वार्तालाप के क्रम में भी अशिष्ट व्यवहार न करना तथा शरीर स्पर्श वर्जित मानना।
10. शौचालय तथा स्नानागार में शिष्टतापूर्ण व्यवहार करना।
11. दीवारों, खिड़कियों तथा दरवाजों आदि पर किसी प्रकार का लेखन नहीं करना।
12. अध्ययन काल में अपने सहपाठियों के साथ वार्तालाप नहीं करना।
13. पाठ्य विषयों का गहनता पूर्वक अध्ययन करना तथा अनेक प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में तैयार करना जिससे न्यूनतम निर्धारित 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हो सके।
14. छात्रावास में कोई अवांछित पत्रिका, पुस्तक, इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ इत्यादि नहीं लाना, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है।
15. छात्र सामान्यतः अपने बिस्तर तथा तख्त पर ही रहेंगे तथा पठन–पाठन करेंगे। अन्य सदन में सदन प्रभारी की अनुमति से ही जायेंगे।
16. प्रातःकाल जागरण संकेत होते ही उठ जाना तथा रात्रि में दीप विसर्जन के पश्चात् सो जाना।

निष्कासन

1- विद्यालय या छात्रावास का समय से शुल्क न जमा होने पर।

2- (अ) अनुशासनहीनता
(ब) अनैतिक कार्य
(स) परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने
(द) विद्यालय वस्तु को क्षति पहुँचाने पर
(य) मोबाइल पकड़े जाने पर
(र) दुर्व्यवहार करने पर

छात्र का निष्कासन विद्यालय से उपर्युक्त में से किसी भी एक कारण के पाये जाने पर किसी भी समय किया जा सकता है।

3- सत्र के मध्य छात्रावास या विद्यालय से निष्कासन/छोड़ने की स्थिति में किसी भी प्रकार की विद्यालय/छात्रावास में जमा राशि छात्र को वापस नहीं की जायेगी।

आलोक : विद्यालय/छात्रावास द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का पालन अवश्य करें। अन्यथा किसी भी अनियमितता के दुष्परिणाम हेतु विद्यालय/छात्रावास उत्तरदायी नहीं होगा ।